

## कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 276 / जि०पं० / 2013-2014

दिनांक १५ जुलाई, 2013



मेसर्स साई फार्मस  
पार्टनर श्री विमल कपूर  
ग्राम-सिकन्दरपुर खुर्द  
तहसील- चिनहट  
जनपद- लखनऊ।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा सिकन्दरपुर खुर्द विकास खण्ड चिनहट जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 28, 29 तथा 32 में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन (24 नं० आवासों) प्लाट संख्या 61 से 84 तक निर्माण कार्य हेतु प्रस्तुत मानचित्र के कुल कवर्ड एरिया 3739.12 वर्गमीटर पर हेतु मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

- 1—प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
- 2—जल—मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
- 3—मध्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम-7 यथावते लागू रहेंगे।
- 4—प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरिया 3739.12 वर्गमीटर में ही निर्माण कराया जाये।
- 5—प्रतिबन्ध रहेगा कि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शे/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

*[Signature]*  
 अपर मुख्य आधिकारी  
 जिला पंचायत, लखनऊ